कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना लुण्ड्रा, जिला सरगुजा (छ0ग0)

क्रमांक / 401 / स्था / आ0बा0नियु0 / बा0वि0परि0 / 2026–27 लुण्ड्रा दिनांक 16.11.2026

आंगनबाड़ी सहायिका के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

बाल विकास परियोजना लुण्ड्रा के अंतर्गत रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता के पद पूर्ति पदों पर खुली भर्ती के माध्यम से छ0ग0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस.भवन रायपुर के पत्र क्रमांक / 728 / 1098 / 2008 / मबावि / 50,रायपुर दिनांक 2.4.2008 में विहित एवं समय–समय पर शासन द्वारा उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जारी निर्देशों के अनुसरण में निम्न तालिका में दर्शित पदों की पूर्ति हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के विभागीय बेवसाइड https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

पूर्ति किये जाने वाले रिक्त पदों की तालिका

आंगनबाड़ी सहायिका 01 पद

क्र0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	सेक्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त आ0बा0 केन्द्र का नाम	रिमार्क
1	सहायिका	1	लुण्ड्रा	महोरा	महोरा धमनापारा	

आवेदन कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना लुण्ड्रा में दिनांक 17 / 11 / .2026 से 01 / 12 / 2026 तक दिये गये ऑनलाईन बेवसाइड https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन के माध्यम स्वीकार किये जावेगें। **(ऑफलाईन व डाक / कोरियर के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माने जावेगे।)**

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के पद **केवल महिलाओं के लिये** ही होंगे।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका का पद **पूणर्तः मानसेवी तथा अशासकीय** है। इन्हे केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
3. **आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं हैं :–**

i आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका आवेदिका की **आयु 18 से 44 वर्ष** के मध्य होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन आंमत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता / सहायिका / सहसहायिका / संगठिका / शिशु शिक्षा केन्द्रों की शिक्षिका / सहायिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी)।

ii - **आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–**

ऑगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 8वी उत्तीर्ण

टीप :– आं.बा. सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उर्त्तीण है किन्तु उपरोक्तानुसार इस पद पर आवेदन प्राप्त नहीं होने पर आदिवासी परियोजना में शैक्षणिक योग्यता को शिथिल मानते हुए कम शैक्षणिक योग्यता पर भी विचार किया जावेगा।

iii. आवेदिका उसी राजस्व ग्राम के टोले, पारे के निवासी हो, चूंकि मूल्यांकन पत्रक में उस राजस्व ग्राम के समस्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठता सूची तैयार की जावेगी। अतः आवेदिका उसी राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होनी चाहिए। जिस राजस्व ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है।

iv. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदिका नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिसकी छः माह की वैधता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक समाप्त न हुई हो) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर ही निर्धारित अंक की पात्रता होगी। नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

v. पूर्व से कार्यरत् अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका (1 वर्ष या उससे अधिक) अनुभव का अंक दिया जावेगा। पूर्व से कार्यरत् अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका से आशय राज्य शासन की किसी योजना, परियोजना अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी/बालबाड़ी/झूलाघर/अतिरिक्त पूरक पोषण आहार वितरण केन्द्र/ शहरी विशेष पोषण आहार वितरण केन्द्र/शिशु शिक्षा केन्द्र में कार्यरत् करने वाले अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका से हैं। इनके कार्य के अनुभव हेतु उनके नियत्रंणकर्ता अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।

vi. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन मे विधवा, परित्यकता एवं तालकशुदा महिलाओं को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी।

टीप :– परित्यक्ता के संबंध में निम्न मे से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा।

1. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/अथवा न्यायालय द्वारा जारी तत्सबंधी आदेश मान्य किया जावेगा।
2. परित्यक्ता के संबंध में 02 वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा।
3. तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

vii. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जावेगें। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र के आधार पर अंक लाभ दिया जावेगा।

viii कन्या आश्रम छात्रावास से आठवीं तक अध्ययन करने का प्रमाण पत्र में दाखिल खारिज एवं अंकसूची के आधार पर मिलान होने पर अतिरिक्त अंक दिये जायेगें।

ix. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ही अंतरिम मूल्याकंन पत्रक दावा आपत्ति हेतु जारी किया जावेगा। दावा आपत्ति केवल अंतरिम मूल्यांकन पत्रक पर ही लिया

टीप :– रिक्त पदो की विस्तृत जानकारी (आंगनबाडी केन्द्रवार) तथा नियुक्ति की विस्तृत शर्ते अर्हताओं के लिये विभागीय वेबसाइड https://aww.e-bharti.in/ में अथवा कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियेाजना लुण्ड्रा, जनपद पंचायत लुण्ड्रा के कार्यालय एवं पंचायत भवन के सूचना पटल से प्राप्त की जा सकती है।

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
लुण्ड्रा,जिला–सरगुजा(छ.ग.)

पृ0क्र0 / 402 / स्था / आ.बा.नियु. / बाविपरि. / 2026–27 लुण्ड्रा, दिनांक .16.11.2026.

प्रतिलिपि :–

1. जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग सरगुजा अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लुण्ड्रा को सादर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक ,जन संपर्क अधिकारी, अम्बिकापुर को समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सादर सूचनार्थ।
4. सर्व संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत....., विकासखण्ड लुण्ड्रा को सूचनार्थ। कर निवेदन है कि कि ग्राम पंचायत में रिक्त पद संबंधी मुनादी कराने का कष्ट करें।
5. सेक्टर पर्यवेक्षक ..... सूचनार्थ।
6. संबंधित शाखा प्रभारी, बाल विकास परियोजना लुण्ड्रा को सूचनार्थ कर लेख है कि कार्यालय नोटिस बोर्ड में सूचना चस्पा करें।

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
लुण्ड्रा,जिला–सरगुजा(छ.ग.)